सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

सर्वप्रथम अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि कार्यपालन अभियंता,जल संसाधन संभाग कोरबा द्वारा जनसुनवाई में उपस्थितजनों को अवगत कराया गया कि **"खारुन व्ययवर्तन योजना"** का निर्माण छत्तीसगढ शासन, जल संसाधन विभाग रायपुर द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार सिंचाई रकवा बढाने हेतु किया जा रहा है, जो सर्वविदित है एवं आज लोक प्रायोजन का विषय बना हुआ है। ग्राम बतरा में निर्माणाधीन खारुन व्ययवर्तन योजना में शासन की नीति अनुसार हेडवर्क में **बियर का निर्माण पूर्ण है।** बॉई तट नहर 6.00 किमी0 का निर्माण प्रगति पर है। योजना की दॉई तट मुख्य नहर से 800 हे0 खरीफ सिंचाई (ग्राम बतरा,सिल्ली, पोलमी, निरधी में) प्रस्तावित है। अतः योजना की दॉई तट नहर के निर्माण में ग्राम बतरा (बिजराभउना एवं कुभीपानी पारा) की 24 कृषको की निजीभूमि रकबा 5.66 एकड़ का भू अर्जन किये जाने हेतु भूअर्जन किया जाना प्रस्तावित है तथा वर्तमान में अब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भू अर्जन अधिकारी (राजस्व) कटधोरा द्वारा प्रगति पर है। इस कार्य के लिये सर्वप्रथम सामाजिक समाघात का आंकलन/ निर्धारण किया जाना है, चूंकि इस परियोजना के लिए भूमि की जो आवश्यकता है वह न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है। इस परियोजना के निर्माण में सभी सामाजिक लागत/पहलुओं एवं फायदों का निर्धारण किया गया है।

1. अधिग्रहण की जा रही भूमि का मुआवजा का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत् किया जायेगा।
2. यह परियोजना रेखीय अधिग्रहणों की श्रेणी के अंतर्गत आती है जिसमें भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार का पुनर्वासन की आवश्यकता नहीं है।
3. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए परियोजना द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा।
4. परियोजना के बन जाने तथा सिंचाई सुविधा मिलने से प्रभावित गांव एवं आसपास के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।
5. महिला सशक्तिकरण के लिये स्वसहायता समूह का गठन किया जायेगा जिससे कि महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।
6. प्रस्तावि परियोजना से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं रैखिक अधिग्रहण होने के फलस्वरूप पर्यावरण संतुलन पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
7. विशेषज्ञ समूहों द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण जनसुनवाई के दौरान मुआवजा के संबंध में जानकारी दी गई।
8. प्रभावित भूमि का विवरण – सूची में संलग्न है।

   (24 कृषकों की कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित 5.66 एकड)
9. प्रभावित खातेदारों के सहमति की सूची – सूची में संलग्न है।
10. सामाजिक समाघात संधारण जनसुनवाई– दिनांक 10.11.2016 के दौरान प्रभावित परिवारों द्वारा प्राप्त समस्याओं एवं उनका निराकरण :–

- प्रभावित भूमि स्वामियों द्वारा प्रति एकड़ रुपये आठ लाख मुआवजे की मांग की गई जिससे भू–अर्जन अधिकारी द्वारा शासन के **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** के प्रावधानों के तहत मुआवजा का निर्धारण करने की जानकारी दी गई।
- भूमि विस्थापितों द्वारा परियोजना के आने से अधोसंरचना में क्या विकास होगा कि जानकारी चाही गई जिसमें विशेषज्ञ समूहों द्वारा बताया गया कि गांव की सड़क एवं अन्य अधोसंरचना के लिये डिपाजिट मद के तहत माडल ग्राम बतरा में प्रशासन द्वारा विकास के कार्य किये जावेगे।
- भूमि विस्थापितों द्वारा पुनर्वास लाभ के संबंध में जानकारी चाही गई जिसके परिपालन में पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा **छत्तीसगढ़ पुनर्वास पुनर्वास्थापन नीति** के तहत् लाभ दिये जाने की जानकारी दी गई।

विशेषज्ञ समूहों द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का मूल्यांकन रिपोर्ट –

खारुन व्स्पवर्तन योजना के दॉई तट नहर निर्माण हेतु सामाजिक समाघात के अध्ययन हेतु कलेक्टर, कोरबा के द्वारा गठिम समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दिनांक **04.01.2017** को **खारुन व्यपवर्तन योजना के दॉई तट नहर के एलाइंगमेन्ट का अवलोकन समस्त प्रभावित कृषकों के साथ किया गया एवं ग्राम कुभ्भीपानी में ग्रामसभा लेकर जनसुनवाई कर प्रभावित 24 कृषकों के साथ विस्तार से प्रत्येक बिन्दु पर विचार विमर्श किया गया।**

समिति द्वारा पाया गया कि खारुन व्यपवर्तन योजना के दॉई तट नहर निर्माण से किसी प्रकार से विपरीत सामाजिक समाघात होना नही पाया गया वल्कि सिंचाई में लाभ एवं उन्नति के लिये लाभदायी पाया गया। समिति की राय के अनुसार खारुन व्स्पवर्तन योजना के दॉई तट नहर निर्माण से कृषकों को खरीफ फसल हेतु पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिलने से उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा जल संर्वघन होने से गर्मी के दिनों में रहन सहन में तथा मवेशियों के लिये पानी की कमी नही रहेगी तथा ग्राम में स्थित बोर, कुॅआ, तालाब में पानी उपलब्ध रहेगा परिणामतः कृषकों एवं ग्रामीणों के जीवकोपार्जन में सुधार आवेगा। अतः यह उपयुक्त योजना है।

निरीक्षण समूह की संस्तुतियों पर विचार –

(क) न्यूनतम विस्थापन – विस्थापन नही पाया गया।

(ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा – कोई बाधा नही पाई गई।

(ग) पर्यावरण पर न्यूनतम बाधा प्रभाव – कोई बाधा नही पाई गई।

विशेषज्ञ समूहों द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का मूल्यांकन रिपोर्ट सौपते हुए भू–अर्जन की अग्रेम कार्यवाही किये जाने हेतु अनशंसा की जाती है।

सामाजिक समाघात समिति के सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर :–

क्रं0	नाम	पद	हस्ताक्षर
गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक –			
1	डा0 गजेन्द्र तिवारी	प्रोफेसर, सामाज शास्त्र बी0डी0 कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाली,	
स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि –			
2	श्री रामसिंह मरावी,	सरपंच, ग्राम पंचायत बतरा, जनपद पंचायत पाली	
3	श्रीमति अमलिता आर्मो,	जनपद पंचायत पाली क्षेत्र– बतरा जनपद पंचायत पाली	
पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ –			
4	श्री जेम्स किण्डो,	सेवा निवृत्त तहसीलदार,	
परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ –			
5	श्री ए0के0 चन्देल,	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं0 01, कटघोरा	
प्रभावित क्षेत्र का तहसीलदार(संयोजक) –			
6	श्री सुरेश साहू,	तहसीलदार, तहसील पाली	04/01/17